झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

दिनांक–............................

संख्या–ख०नि०(विविध)–76 / 2015– / एम0, राँची, झारखण्ड सरकार ने खनन प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे परिवार / व्यक्तियों के हितों की रक्षा एवं आधारभूत संरचना सुविधाओं को मुहैया कराने के उद्धेश्य से झारखण्ड राज्य के सभी जिलों में जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में किए गए संशोधन अधिनियम, 2015 के आलोक में उक्त अधिनियम की धारा–9B में उल्लेखित प्रावधान अन्तर्गत जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट के गठन करने का निर्णय लिया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–9B के अन्तर्गत राज्य सरकार को भेजे गए आदर्श न्यास विलेख को सभी जिलों में शासी परिषद एवं प्रबंधकीय समिति को गठन कर क्रियान्वित किया जाना है।

3. जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए शासी परिषद एवं प्रबंधकीय समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है :–

(क) न्यास परिषद:-

	नाम–	शासी परिषद में पदनाम निर्दिष्ट
i.	उपायुक्त –	अध्यक्ष
ii.	उप विकास आयुक्त–	सदस्य सचिव
iii.	आरक्षी अधीक्षक–	सदस्य
iv.	संबंधित जिलान्तर्गत प्रादेशिक वन प्रमण्डल के वरीयतम वन प्रमण्डल पदाधिकारी	सदस्य
v.	जिला शिक्षा पदाधिकारी –	सदस्य
vi.	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी–	सदस्य
vii.	संबंधित उप निदेशक, खान–	सदस्य
viii.	संबंधित उप निदेशक, भूतत्व–	सदस्य
ix.	संबंधित जिला खनन पदाधिकारी–	सदस्य
x.	अध्यक्ष जिला परिषद के प्रतिनिधि–	सदस्य
xi.	झारखण्ड स्मॉल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधि–	सदस्य
xii.	माननीय सांसद के प्रतिनिधि–	सदस्य
xiii.	जिला अन्तर्गत सभी माननीय विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि–	सदस्य
xiv.	दो प्रमुख खनन पट्टाधारी, जिसे शासी परिषद द्वारा नामित किया जाएगा–	सदस्य

xv. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र के निर्वाचित प्रमुख एवं उप प्रमुख–सदस्य
xvi. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र के निर्वाचित मुखिया एवं उप मुखिया–सदस्य

(ख) प्रबंधकीय समिति:-

i.	उपायुक्त –	अध्यक्ष
ii.	आरक्षी अधीक्षक–	सदस्य
iii.	उप विकास आयुक्त–	सदस्य सचिव
iv.	संबंधित जिलान्तर्गत प्रादेशिक वन प्रमण्डल के वरीयतम वन प्रमण्डल पदाधिकारी–	सदस्य
v.	जिला/सहायक खनन पदाधिकारी–	सदस्य
vi.	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी–	सदस्य
vii.	जिला पंचायती राज पदाधिकारी–	सदस्य

4. जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट का उद्धेश्य खनन क्षेत्र में खनन से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के हित–लाभ के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जिला खनिज फाउण्डेशन नियमावली के अनुसार होगा।

5. उपायुक्त ट्रस्ट के नाम से राष्ट्रीकृत बैंक में खाता राज्यादेश प्राप्त होते ही खोल देंगें, जिसके संचालन हेतु प्रबंधकीय समिति पदाधिकारीगण को प्राधिकृत कर सकेगी।

(क) जिला में अवस्थित खनन पट्टाधारक, जिन्हें खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद खनिज के पट्टे या पूर्वेक्षण–सह–खनन पट्टा प्राप्त हुआ है, उनसे अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुरूप स्वामिस्व के अतिरिक्त स्वामिस्व के 1/3 (एक तिहाई) राशि से अनाधिक राशि प्राप्त की जाएगी।

(ख) वैसे पट्टाधारक, जिन्हें खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के पूर्व खनन पट्टा प्राप्त है, उनसे स्वामिस्व के अतिरिक्त पट्टे के वर्गीकरण के अनुसार यथा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित स्वामिस्व/दर से अनाधिक राशि इस कोष में प्राप्त की जाएगी एवं इस राशि से ही ट्रस्ट अपना कार्य करेगी।

6. शासी परिषद में नामित न्यासी का कार्यकाल 03 वर्षों का होगा, किन्तु ऐसे व्यक्ति जिन्हें शासी परिषद में न्यासी के रूप में नामित किया गया है, उनकी अवधि दो कार्यकाल से अधिक नहीं होगी।

7. शासी परिषद एवं प्रबंधकीय समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट में उल्लेखित निदेश/कृत्य के आलोक में होंगें।

8. जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट को संलग्न मानक विलेख के अनुसार खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार के संयुक्त सचिव/उप सचिव एवं सदस्य सचिव (उप विकास आयुक्त) के बीच निबंधित विलेख निष्पादित किए जाने की तिथि से प्रवृत्त माना जाएगा।

9. इस ट्रस्ट के गठन के लिए जिला खनन पदाधिकारी कार्यालय व्यय से 1000/–(एक हजार) रूपया प्रारम्भिक परिनिर्धारण (intital settlement) मुहैया करायेंगें।

10. यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(सत्य प्रकाश नेगी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक– /एम०, राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर इसकी 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

ह०/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक– 2435 /एम०, राँची, दिनांक– 24-11-15

प्रतिलिपि :– सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/सभी उपायुक्त/निदेशक, खान/निदेशक, भूतत्व/संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग/सभी अपर निदेशक, खान/भूतत्व/सभी उप निदेशक, खान/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, खान निदेशालय/खान एवं भूतत्व विभाग/सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, भूतत्व को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/11/2015

सरकार के विशेष सचिव